न्यायालय जिला कलेक्टर, पाली
पीठासीन अधिकारी :: श्री अंश दीप आई.ए.एस.

रसद विविध :: 10/2021
जीसीएमएस नं. :: 2021/16

प्रार्थी :–	बनाम	अप्रार्थीः–
सरकार जरिये प्रवर्तन निरीक्षक, सुमेरपुर कैम्प पाली		1. नारायण पुत्र श्री घीसूजी भाट, निवासी 232, भाटों का बास, पाली 2. बुधाराम पुत्र श्री शिवलाल, निवासी 78 बंजारों का बास, नया गांव पाली

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 6(ए) आवश्यक वस्तु अधिनियम

उपस्थित :– प्रार्थी की ओर से सरकारी पैरोकार

–:: नि र्ण य ::–

दिनांक : 28/7/21

प्रार्थी की ओर से यह प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 6ए आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 के तहत विरूद्ध अप्रार्थीगण प्रस्तुत किया। प्रार्थी द्वारा अप्रार्थी संख्या 1 के नया गांव, भाटों के बास, पाली स्थित आवास पर वक्त निरीक्षण दिनांक 17.01.2021 को मौके पर 13 घरेलु गैस सिलेण्डर (14.2 किग्रा) इण्डेन कम्पनी के पाये गये। जिनमें से कुछ पूर्ण एवं कुछ आंशिक रूप से भरे हुए पाये गये। उपरोक्त गैस सिलेण्डरों का अवैध संग्रहण किये जाने पर जब्त कर राज्यसात करने हेतु पेश किया। प्रार्थी का प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। बहस सुनी गई पत्रावली का अवलोकन किया गया।

प्रार्थी की ओर प्रवर्तन निरीक्षक पाली ने वक्त बहस कथन किया कि दिनांक 17.01.2021 पुलिस थाना ट्रांसपोर्ट नगर, पाली द्वारा प्राप्त सूचना के आधार पर घरेलू गैस सिलेण्डर की कालाबाजारी व अवैध रिफिलिंग की रोकथाम हेतु प्रवर्तन निरीक्षक, सुमेरपुर हरिहर सिंह हमराह हेड कॉस्टेबल श्री गोपाराम (बेल्ट नं. 1148), हैड कॉस्टेबल श्री किशनलाल (बेल्ट नं. 415) तथा कॉस्टेबल रामनिवास (बेल्ट नं. 69) द्वारा नया गांव स्थित भाटों का बास में नारायण/घीसूजी भाट के निवास स्थल पर जांच हेतु पहुंचे। मौके पर वाहन संख्या आरजे–22,जीबी–3264 खड़ा मिला। मौके पर अप्रार्थी संख्या 1 व 2 उपस्थित मिले। जिनके द्वारा बांसुरी के माध्यम से एक सिलेण्डर से दूसरे सिलेण्डर में गैस रिफिलिंग की जा रही थी। इस संबंध में उनसे पूछताछ करने पर बताया कि वे मैसर्स लक्ष्मी इण्डेन गैस, पाली से नियमित गैस की सप्लाई हेतु 13 गैस सिलेण्डर क्षमता 14.2 किग्रा लेकर निकले थे तथा मौके पर 13 घरेलु गैस सिलेण्डरों का गेटपास भी पाया गया। इनमें से एक घरेलु गैस सिलेण्डर उपभोक्ता को देने के पश्चात उसके बदले में खाली सिलेण्डर लेकर अपने निवास पर आये थे। मौके पर 6 घरेलु गैस सिलेण्डरों में से गैस खाली सिलेण्डर में रिफिल कर रहे थे। मौके पर जब्त घरेलु गैस सिलेण्डर संबंधी आवश्यक विधिक दस्तावेजात मांगने पर प्रस्तुत नहीं किये गये एवं इस संबंध में कोई संतोषप्रद जवाब नही दिया गया। इस पर मौके पर मैसर्स पाली गैस सर्विस पाली के कांटा मंगाकर तौल किया गया। जिनमें कुछ पूर्ण व कुछ आंशिक रूप से भरे हुए मिले। तौल करने पर क्रम संख्या 1 से 7 सिलेण्डरों में गैस का वजन क्रमशः 12.300 किग्रा, 11.100 किग्रा, 13.700 किग्रा, 14.000 किग्रा, 12.200 किग्रा, 13.900 किग्रा, 8.000 किग्रा, व क्रम संख्या 8 से 13 के सिलेण्डरों में गैस का वजन 14.200 किग्रा पाया गया। व मय गैस सिलेण्डरों का वजन क्रमशः 28.000 किग्रा, 27.000 किग्रा 29.300 किग्रा, [illegible] किग्रा, [illegible] किग्रा, [illegible] किग्रा, 23.600 किग्रा 29.900 किग्रा, 30.100 किग्रा, 30.000 किग्रा, [illegible] किग्रा, 30.800 किग्रा, 29.500 किग्रा पाया गया। इस प्रकार अप्रार्थी द्वारा द्रवित पेट्रोलियम गैस (प्रदाय, वितरण एवं विनियमन) आदेश, 2000 के उपबन्धों की अवहेलना कर घरेलु गैस सिलेण्डरों का अवैध रूप से रिफिलिंग करना पाये जाने के फलस्वरूप मौके से 13 घरेलु गैस सिलेण्डरों (क्षमता 14.2 किग्रा)(इण्डेन) को जब्त कर वजह सबूत कब्जे में लेकर अग्रिम आदेश तक सुरक्षित रखने हेतु श्री ताराचंद मीणा हाल प्रोपराईटर मैसर्स पाली गैस सर्विस, पाली को सुपुर्दगीनामें पर सुपुर्द किया गया।

Ansh
जिला कलेक्टर, पाली

Signature Not Verified
Digitally signed by Ansh Deep Ralh
Date: 2022.01.30 09:21:12 IST
Reason: SelfAttested

क्रमश पृष्ठ :: 2

निरीक्षण पर्चा मय फर्द अभिग्रहण एवं सुपुर्दगीनामा अलग से तैयार किया गया। इस प्रकार अप्रार्थी द्वारा उपरोक्त गैस सिलेण्डरो को बिना वैध परमिट के संग्रहण कर व अवैध रिफिलिंग कर द्रवित पेट्रोलियम गैस (प्रदाय, वितरण एवं विनियमन) आदेश, 2000 के उपबन्धों की अवहेलना की है, जो कि आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 की धारा 3/7 के अर्न्तगत दण्डनीय अपराध है। प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 6ए आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के प्रस्तुत कर निवेदन है कि जब्तसुदा घरेलू गैस सिलेण्डरो, एवं अन्य सामग्री को राज्यसात (Confiscate) करने के आदेश प्रदान करावे। तथा वाहन संख्या RJ -22 GB–3264 जो उक्त सभी सिलेण्डरों के परिवहन के लिए उपयोग में लिया गया जिसे मौके पर जब्त किया जाकर सुपुर्दगीनामें पर वाहन स्वामी सोहनलाल को सौंपा गया है उस पर भी नियमानुसार जुर्माना आरोपित किया जावे।

अप्रार्थी बावजूद नोटिस तामील व बार–बार आवाज लगवाये जाने पर भी अनुपस्थित रहने से एक तरफा कार्यवाही अमल में लाई जाती है व गुणावगुण के आधार पर निर्णय किया जाता है।

प्रार्थी की बहस पर मनन किया गया व पत्रावली का अवलोकन किया गया प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र व प्रस्तुत दस्तावेजों के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रार्थी द्वारा वक्त कार्यवाही अप्रार्थी संख्या 1 के आवास पर घरेलु गैस सिलेण्डरों से अनाधिकृत रूप से गैस निकाली जाकर अन्य गैस सिलेण्डरों में बांसुरी के माध्यम से गैस रिफिलिंग किया जाना पाया गया। आवास पर 13 इण्डेन कम्पनी के घरेलु गैस सिलेण्डर (क्षमता 14.2 किग्रा) पाये गये। जिनका मैसर्स पाली गैस सर्विस, पाली से कांटा मंगवाकर वजन करने पर प्रार्थना पत्र में वर्णित क्रम संख्या 1 से 7 के गैस का वजन क्रमशः 12.300 किग्रा, 11.100 किग्रा, 13.700 किग्रा, 14.000 किग्रा, 12.200 किग्रा, 13.900 किग्रा, 8.000 किग्रा, व क्रम संख्या 8 से 13 समस्त का वजन 14.200 किग्रा पाया गया। व मय गैस सिलेण्डरों का वजन क्रमशः 28.000 किग्रा, 27.000 किग्रा 29.300 किग्रा, 30.400 किग्रा, 28.100 किग्रा, 29.800 किग्रा, 23.600 किग्रा 29.900 किग्रा, 30.100 किग्रा, 30.000 किग्रा, 30.000 किग्रा, 30.800 किग्रा, 29.500 किग्रा पाया गया। इस संबंध में प्रार्थी द्वारा पूछताछ करने पर बताया कि वे मैसर्स लक्ष्मी इण्डेन गैस, पाली से नियमित गैस की सप्लाई हेतु 13 गैस सिलेण्डर लेकर वाहन संख्या आरजे–22–जीबी–3264 से निकले थे जिनका मौके पर गेटपास भी पाया गया। व एक गैस सिलेण्डर उपभोक्ता को देने के पश्चात बदले में खाली सिलेण्डर लेकर अपने निवास पर आये थे। व मौके पर 6 घरेलु गैस सिलेण्डरों में कुछ मात्रा खाली सिलेण्डरों में रिफिल कर रहे थे। मौके पर जब्त घरेलु गैस सिलेण्डर संबन्धी आवश्यक विधिक दस्तावेजात मांगने पर किसी प्रकार के दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किये गये एवं इस संबंध में कोई संतोषप्रद जवाब भी नहीं दिया गया। ऐसी परिस्थिति में यह स्पष्ट है कि अप्रार्थीगण द्वारा द्रवित पेट्रोलियम गैस (प्रदाय, वितरण एवं विनियमन) आदेश 2000 के उपबन्धों की अवहेलना किए जाने से घरेलु गैस सिलेण्डरों को राज्यसात (Confiscate) किया जाना न्यायोचित पाते हैं।

न्यायालय जिला कलेक्टर
पाली (राजस्थान)

परिणामस्वरुप प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है। अप्रार्थी द्वारा अपने निवास पर घरेलू गैस सिलेण्डरो का अवैध संग्रहण एवं अवैध रिफिलिंग किए जाने पर जब्तसुदा 13 घरेलू गैस सिलेण्डर जो इण्डेन कम्पनी के क्षमता 14.2 किग्रा जिनका मय गैस क्रम संख्या 1 से 13 का वजन क्रमशः 28.000 किग्रा, 27.000 किग्रा 29.300 किग्रा, 30.400 किग्रा, 28.100 किग्रा, 29.800 किग्रा, 23.600 किग्रा 29.900 किग्रा, 30. 100 किग्रा, 30.000 किग्रा, 30.000 किग्रा, 30.800 किग्रा, 29.500 किग्रा को राज्यसात (Confiscate) किया जाता है। निर्णय की प्रति जिला रसद अधिकारी, पाली को प्रेंषित कर आदेशित किया जाता है कि जब्त सु[illegible] गैस सिलेण्डरो को मय गैस सुपुर्ददार से प्राप्त कर राज्य स[illegible] 8818 [illegible]/नीति/6A/2020 जयपुर दिनाँक 19.08.2020 एवं उसकी पालना [illegible] खाद्य एवं नागरिक रसद विभाग द्वारा जारी पत्रांक F 04{23} ख.ले/नीति/6A/89 जयपुर दिनाँक 16.11.1999 के अनुरूप ही जब्तसुदा गैस सिलेण्डर व अन्य सामग्री निस्तारण की कार्यवाही की जावे।

Signature Not Verified
Digitally signed by Ansh Deep Ralh
Date: 2022.01.30 09:21:12 IST
Reason: SelfAttested

Ansh
जिला कलेक्टर, पाली

क्रमश पृष्ठ :: 3

जो सामान उक्त परिपत्र में उल्लेखित नहीं है उसकी नियमानुसार निलामी की जाकर समस्त राशी राजकोष में जमा कराई जावे तथा वाहन संख्या RJ -22 GB–3264 जो उक्त सिलेण्डर परिवहन करने के उपयोग लिया गया तथा वर्तमान में वाहन स्वामी श्री सोहन लाल को सुपुर्दगीनामा एवं जमानत के आधार पर सौंपा गया है उस पर आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 6 ग के अनुसार 25000/–रूपये अक्षरे पच्चीस हजार रूपये जुर्माना आरोपित किया जाता है वाहन स्वामी को जुर्माना रोकड़ भरने का विकल्प देते हुए नियमानुसार जुर्माना राशि वसूल की जाकर पालना सुनिश्चित की जावे।

निर्णय आज दिनांक 28/7/21 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(अंश दीप)
जिला कलक्टर, पाली
जिला कलेक्टर, पाली

न्यायालय जिला कलेक्टर पाली (राजस्थान)

Signature Not Verified

Digitally signed by Ansh Deep Ralh
Date: 2022.01.30 09:21:12 IST
Reason: SelfAttested